

प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक- 22.03.2021

स्वाट व बैरिया पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में स्वचलित कार्बाइन व 30 अदद 9mm कारतूस व 01 अदद तमंचा .315 बोर व 50 अदद कारतूस .315 बोर बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शस्त्रों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बैरिया व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।

दिनांक 21.03.2021 को व स्वाट टीम प्रभारी संजय सरोज व प्र0नि0 राजीव मिश्रा थाना बैरिया की संयुक्त फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर ***नौरंगा गांव में दबिश देकर 02 अभियुक्त अमरेन्द्र व राजू को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से स्वचलित कार्बाइन व तमंचा तथा भारी मात्रा में कारतूस व फर्जी शस्त्र लाइसेन्स बरामद किया गया।***

उक्त बरामदगी के आधार पर पकड़े गये उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बैरिया पर मु0अ0सं0-68/21 धारा 3/7/25/5 आर्म्स एक्ट व 419,420,467,468,471 भादवि, मु0अ0सं0 69/2021 धारा 3/25/5 आर्म्स एक्ट व 419,420,467,468,471 भादवि व पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:- उपरोक्त अभियुक्त अमरेन्द्र द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वो अपने पिता, चाचा व साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार बिहार से लाकर बेचता है। घटना वाले दिन को अपने चाचा के साथ उक्त कार्बाइन को ढाई लाख रू0 में बेचने आया था। अभियुक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उक्त कार्बाइन को काफी समय से बचने का प्रयास कर रहा था इसी दौरान पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अवैध शस्त्रों के कारोबार में फर्जी शस्त्र लाइसेन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके पूर्व में हमने बिहार राज्य के जनपद बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज व गाजीपुर में भी अवैध हथियार बेचा है। अन्य अभियुक्त राजू ने बताया कि वह लोहार है और शस्त्र निर्माण का कार्य इनके साथ मिलकर करता है व कभी कभार तमंचे इत्यादि बना लेता है। पिस्टल/कार्बाइन इत्यादि ये लोग बिहार से लाते हैं इस गैंग का मुख्य सरगना विनोद (अमरेन्द्र का चाचा) है।

नोट:- उक्त प्रभावशाली बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस टीम के प्रोत्साहन हेतु श्रीमान् अपर मुख्य सचिव गृह विभाग महोदय द्वारा एक लाख (100000/-रू0) का इनाम घोषित किया गया है।*

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमरेन्द्र ठाकुर पुत्र सुरेन्द्र ठाकुर नि. नौरंगा थाना बैरिया बलिया।
2. राजू शर्मा पुत्र केदार शर्मा नि. नौरंगा थाना बैरिया बलिया।

बरामदगी :-

1. 01 अदद स्वचलित कार्बाइन
2. 30 अदद जिन्दा कारतूस 9mm
3. 01 अदद तमंचा .315 बोर
4. 50 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
5. 02 अदद फर्जी शस्त्र लाइसेन्स
6. हथियार बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम :-

1. प्रभारी स्वाट उ0नि0 संजय सरोज मय फोर्स।
2. प्र0नि0 राजीव मिश्रा थाना बैरिया बलिया मय फोर्स।
3. उ0नि0 अतुल मिश्रा थाना बैरिया 4. उ0नि0 गिरिजेश सिंह 5. उ0नि0 अजय यादव 6. उ0नि0 फूलचन्द्र यादव 7. उ0नि0 रोहन राकेश 8. हे0का0 आलोक सिंह 9. हे0का0 चन्द्रभान यादव 10. हे0का0 राजीव राजभर 11. हे0का0 अतुल सिंह 12. हे0का0 अनूप सिंह 13. हे0का0 वेद प्रकाश दुबे 14. का0 अनिल पटेल 15. का0 कृष्ण कुमार